राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

दिनांक 25/01/18

क्रमांक/रीडर/2018/131

प्रेषित :–

तहसीलदार चौहटन

विषय :– राजस्व वाद सं. 90/2016 अनवान खेमा वगैरा बनाम जुगता वगैरा में निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक 24.01.2018 को पारित किया जाकर अन्तिम डिक्र जारी की गई। अतः उक्त निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति सलंग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि निर्णय की पालना अपील की समयावधि 30 दिन गुजरने के बाद की जावे।

सलंग्न :– निर्णय व अन्तिम डिक्री की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

मुकाम चौहटन

अज अदालत सहायक कलक्टर चौहटन

व इजलास ***श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, (आर.ए.एस.)***

अनवान वादीगण – 1.खेमा 2.धर्मा पि. पीरा 3.जेती पत्नि पीरा, जाति जाट निवासी नोहड़ियों की बस्ती, सांवलोर

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.जुगता पुत्र भारू 2.लूणा 3.रामा पि. वना जातियान जाट, निवासी नोहड़ियों की बस्ती,सांवलोर
4.पेम्पों पुत्री वना पत्नि रेखाराम
5.चिमू पुत्री वना पत्नि पपूराम जाति जाट निवासी लीलसर, तहसील चौहटन
6.तहसीलदार चौहटन।

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – **श्री जबरसिंह राठौड़**
प्रतिवादीगण वकील – **श्री महेन्द्र रामावत**

वाद बाबत 88,53,188 RT Act.
मुकदमा नं. 90/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री जबरसिंह राठौड़** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री महेन्द्र रामावत** एड . मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर **ग्राम नोहड़ियों की बस्ती, तहसील चौहटन में खसरा नं. 74 रकबा 104.19 बीघा, खसरा सं. 100 रकबा 00.05 बीघा, खसरा सं. 101 रकबा 68.16 बीघा, कुल रकबा 174.00 बीघा का आया हुए है।** उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है। लगातार शेष पृष्ट पर....... .... बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्राथी तक .... मय सुद व शरह .... को अदा करे।

वसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 24.01.2018 को जारी की गई।

दस्तखत.......................
ओहदा .... सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

...र्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

क्र.सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	खेमाराम, धर्माराम पि. पीराराम, जेतीदेवी पत्नि पीराराम, कौम जाट, सा. देह खातेदार	नोहड़ियों की बस्ती	74 101	52.10 05.10	**बा.दो.** **बा.दो.**	3.15 0.2[illegible]	[illegible]
	योग		2	58.00	**बा.दो.**	3.43	बैंगनी
2	जुगताराम पुत्र भारूराम, कौम जाट, सा. देह खातेदार	नोहड़ियों की बस्ती	74 101	52.09 05.11	**बा.दो.** **बा.दो.**	3.15 0.28	काला
	योग		**2**	**58.00**	**बा.दो.**	**3.43**	**काला**
3	लूणाराम, रामाराम पि. वनाराम, पेम्पों, चिमू पुत्रियां वनाराम, कौम जाट, सा. देह खातेदार	नोहड़ियों की बस्ती	100 101	00.05 57.15	**गै.मु.** **बा.दो.**	--- 2.89	गुलाबी
	योग		**2**	**58.00**	**---**	**2.89**	**गुलाबी**

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि निर्णय की पालना अपील की समयावधि 30 दिन गुजरने के बाद की जावे।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 90/2016

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

वादीगण – 1.खेमा 2.धर्मा पि. पीरा 3.जेती पत्नि पीरा, जाति जाट निवासी नोहड़ियों की बस्ती, सांवलोर

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.जुगता पुत्र भारू 2.लूणा 3.रामा पि. वना जातियान जाट, निवासी नोहड़ियों की बस्ती,सांवलोर
4.पेम्पों पुत्री वना पत्नि रेखाराम
5.चिमू पुत्री वना पत्नि पपूराम जाति जाट निवासी लीलसर, तहसील चौहटन
6.तहसीलदार चौहटन।

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – **श्री जबरसिंह राठौड़**
प्रतिवादीगण वकील – **श्री महेन्द्र रामावत**

निर्णय

अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

दिनांक :– 24.01.2018

न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौहटन से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित हुए। एक अन्य वाद सं. 261/11 अनवान जुगताराम बनाम वना वगैरा में चाही गई इस्तदुआ समान होने के कारण उभयपक्षकारान की सहमति से इस वाद के साथ समायोजित किया गया। तहसीलदार चौहटन द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। सलंग्न दस्तावेजों का अध्ययन अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है।

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

अतः न्यायाहित में तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौजा **नोहड़ियों की बस्ती, तहसील चौहटन में खसरा नं. 74 रकबा 104.19 बीघा, खसरा सं. 100 रकबा 00.05 बीघा, खसरा सं. 101 रकबा 68.16 बीघा, कुल रकबा 174.00 बीघा** का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है।

क्र.सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	खेमाराम, धर्माराम पि. पीराराम, जेतीदेवी पत्नि पीराराम, कौम जाट, सा. देह खातेदार	नोहड़ियों की बस्ती	74 101	52.10 05.10	बा.दो. बा.दो.	3.15 0.28	बैंगनी
	योग		2	58.00	बा.दो.	3.43	बैंगनी
2	जुगताराम पुत्र भारूराम, कौम जाट, सा. देह खातेदार	नोहड़ियों की बस्ती	74 101	52.09 05.11	बा.दो. बा.दो.	3.15 0.28	काला
	योग		**2**	**58.00**	बा.दो.	**3.43**	**काला**
3	लूणाराम, रामाराम पि. वनाराम, पेम्पों, चिमू पुत्रियां वनाराम, कौम जाट, सा. देह खातेदार	नोहड़ियों की बस्ती	100 101	00.05 57.15	गै.मु. बा.दो.	--- 2.89	गुलाबी
	योग		2	**58.00**	---	**2.89**	**गुलाबी**

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि निर्णय की पालना अपील की समयावधि 30 दिन गुजरने के बाद की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.01.18 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन